9.7.15 पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकुलाय फरीकेन उपस्थित । दि0 15.12.2006 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा पाबन्द किया गया था । यह आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जारी किये गये थे । दि0 22.12.2006 का अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश जारी कर अप्रार्थी के खिलाफ पूर्व में दि0 15.12.2006 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को भी निरस्त किया गया था । इसी आदेश में यह भी अंकित है कि वकील प्रार्थी के ब्रिफ होल्डर भी इस आदेश से सहमत हैं ।

यह अपील इस आदेश के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी । पुनः इसी प्रकरण में दोनों पक्षों को सुन करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 23.10.2009 को अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने से पुनः एक अपील न्यायालय हाजा में की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है ।

रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि दि0 22.12.2006 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 22.10.2009 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर आदेश जारी किये जाने से दि0 22.12.2006 के आदेश की अपील का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः इसे खारिज किया जावें ।

अपीलांट के अभिभाषक का बहस के जवाब में कथन है कि दि0 15.12.2006 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया था । इस आदेश की अपील ही हो सकती है, रिव्यू नहीं किया जा सकता था ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । दि0 15.12.2006 को जारी एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त करते हुए दि0 22.12.2006 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर पुनः सुनवाई के आदेश दिये थे जिसमें प्रार्थीगण के ब्रिफ होल्डर भी सहमत थे । बाद में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उस आदेश की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में की गई है । इस प्रकार एक ही मामले में दो अपीलें चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए पहले प्रस्तुत की गई अपील अब सारहीन हो जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । आदेश सुनाया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर